सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

Date : 11.12.2024

To,

Shri Sanjay Arora
Commissioner of Police,
Delhi Police,,
Police Headquarters
Jai Singh Road,,
Delhi - 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

Sub: Representation of Ms. Romi Meemroth Complaining against accused/SI Monoj Kumar posted at P.S. Mundka, outer dist. Delhi, for torture and discrimination being committed on working women posted in Delhi Police.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 18.11.2024 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report on the recommendations may be submitted to this Commission within 15 days positively.

Encl: as above

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

Copy to:

Ms. Romi Meemroth
H.No.I-23,Top Floor
Lajpat Nagar Part-III,
New Delhi-110024.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

श्रीमती रोमी मेमरोथ , एच. नंबर आई-23 ऊपरी तल लाजपत नगर वर्ग- 3 दिल्ली के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 18.11.2024, 02:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री रोमी मेमरोथ , एच. नंबर आई-23 ऊपरी तल लाजपत नगर वर्ग- 3 दिल्ली से दिनांक 17.04.2023 को आयोग को एक लिखित शिकायत किया था कि श्री मनोज कुमार, एसआई दिल्ली पुलिस के यौन शोषण का जांच अधिकारी उन्हें बनाया गया जिसमें श्री मेमरोथ ने निष्पक्षता से जांच शुरू किया जिसके कारण श्री मनोज कुमार द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा भी उनको परेशान किया जा रहा है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को दिनांक 28.06.2023 को नोटिस भेजा गया था और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी थी।

3. जिसके सम्बंध में उक्त अधिकारियों की ओर से जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सुश्री मिमरोथ द्वारा लगाये आरोप को तथ्यहीन और आधारहीन बताया है। रिपोर्ट असंतोषजनक पाये जाने पर आयोग द्वारा 10.05.2024 को सुनवाई की गई और मामले की रिपोर्टे दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा देने की अनुसंशा की। दिनांक 10.05.2024 की सुनवाई में निम्नवत अनुसंशाये की गई थी।

- दिल्ली पुलिस द्वारा आयोग के नोटिस की अवहेलना करने पर संबन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही मानते हुये विभागीय जांच की जाए।
- इस मामले की सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग को 07 दिनों में भेजी जाए।
- शिकायतकर्ता को षड़यंत्रपूर्वक (जानबूझ कर) फंसाया और सेवा से हटाया तो नहीं गया, इसकी जांच की जाए और रिपोर्ट आयोग को भेजी जाय।
- भविष्य में आयोग के सभी नोटिसों का जवाब समय पर दिया जाए।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Contd....P/2

4. उक्त सुनवाई के पश्चात पुलिस उपायुक्त, दिल्ली बाहरी जिला से 19.06.2024 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो आयोग के सभी अनुसंशाओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई गई। तद्उपरांत दिनांक 18.11,2024 को पुनः सुनवाई सुनिष्चित की गई और पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को आयोग में आने हेतु पत्र जारी किये गयें।

5. प्रकरण की सुनवाई में उप पुलिस आयुक्त, बाहरी दिल्ली तथा ए.सी.पी. ने प्रकरण की तथ्यों को प्रस्तुत किया है सुश्री मिमरोथ के खिलाफ सी.बी.आई. में चल रहे तथा उनके डिसमिसल के केस को न्यायाधीन बताया। उक्त अधिकारियों ने आयोग को श्री मनोज, एस.आई. के प्रकरण में चार्जशीट होने की सूचना दी तथा उनके खिलाफ हो रहे विभागीय जांच की भी सूचना दी।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. पुलिस द्वारा इस मामले में आयोग द्वारा पूर्व में दिनांक 10.05.2024 में दी गई अनुसंशाओं की अनुपालना सुनिश्चित की जाय
2. उक्त अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण में सुश्री रोमी मिमरोथ के साथ संबंधित प्रधान आरक्षी श्री लेखराम को सेवा में पुनः स्थापना की सूचना दी गई, तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री रोमी मिमरोथ के संदर्भ में भी सकारात्मक कार्यवाही की जाय।
3. मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री मनोज कुमार, एस. आई. के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाये।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के समयाविधि में आयोग में प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Shri Rahul Yadav
Legal Consultant

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Sanchin Sharma
DCP / Outer Delhi

Smt. Usha Kumari Joshi
ACP